संख्या-19 / 2017 / 2140 / 58-2017-70 / 2017

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 03 अगस्त, 2017**

विषय :- शीतगृह रहित आलू उत्पादक विकास खण्डों में शीतगृहों की स्थापना को प्रोत्साहन दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीतगृह रहित उन विकास खण्डों जिनमें आलू का उत्पादन होता है तथा भण्डारण की सुविधा न होने के कारण आलू भण्डारण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता वाले 27 जनपदों के निम्नवत 58 विकास खण्ड में 01-01 शीतगृह स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

मण्डल का नाम	क्र0सं0	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम
मेरठ	1	**गाजियाबाद**	**भोजपुर**
	2	**हापुड**	**1. गढ़मुक्तेश्वर 2. सिम्भावली**
	3	**गौतमबुद्धनगर**	**जेवर**
आगरा	4	**फिरोजाबाद**	**एका**
बरेली	5	**बदायूं**	**कादरचौक**
	6	**शाहजहांपुर**	**1. बण्डा 2. खुटार 3. मिर्जापुर**
मुरादाबाद	7	**मुरादाबाद**	**बिलारी**
	8	**अमरोहा**	**गंगेश्वरी**
कानपुर	9	**फर्रूखाबाद**	**नबाबगंज**
	10	**औरेया**	**1. ऐरवा कटरा 2. अछल्दा**
	11	**कानपुर नगर**	**1. ककवन 2. विधनू**
	12	**कानपुर देहात**	**1. ढेरापुर 2. झींझक 3. अमरौधा 4. मैंथा मलाशा 5. सन्दलपुर**
इलाहाबाद	**13**	**कौशाम्बी**	**1. चायल 2. नेवादा 3. कौशाम्बी 4. सरसवां**
	14	**प्रतापगढ़**	**1. विहार 2. पटटी**
झांसी	**15**	**जालौन**	**माधौगढ़**
वाराणसी	**16**	**गाजीपुर**	**1. करण्डा 2. सैदपुर 3. सादात 4. कासमाबाद**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			5. भदौरा
मिर्जापुर	**17**	**मिर्जापुर**	**1. छान्वे 2. कोन**
आजमगढ़	**18**	**बलिया**	**सियर**
गोरखपुर	**19**	**देवरिया**	**बरहज**
बस्ती	**20**	**संतकबीरनगर**	**1. नाथनगर 2. सेमरियावां**
	21	**सिद्वार्थनगर**	**1. डुमरियागंज 2. बांसी 3. नौगढ़**
लखनऊ	**22**	**लखनऊ**	**गोसाईगंज**
	23	**रायबरेली**	**1. सतांव 2. खीरों 3. छतोंह 4. दीनशाहगौरा**
	24	**सीतापुर**	**1. महोली 2. मिश्रिख**
	25	**हरदोई**	**1. भरखनी 2. बिलग्राम 3. हरपालपुर 4. बावन**
फैजाबाद	**26**	**अम्बेडकरनगर**	**जहांगीरगंज**
	27	**बाराबंकी**	**1. निदूरा 2. बनीकोडर 3. सिद्धौर 4. सूरतगंज**

3- शीतगृहों की स्थापना को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी -

(1) निर्मित होने वाले शीतगृहों को भारत सरकार के द्वारा निर्धारित रू0-8000 प्रति मिट्रिक टन की इकाई लागत पर अधिकतम 5000 मिट्रिक टन तक 35 प्रतिशत अनुदान प्रो-राटा बेसिस पर देय है।

(2) प्रथम चरण में आलू भण्डारण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता वाले 27 जनपदों के 58 विकास खण्डों में 01-01 शीतगृह, कुल 58 शीतगृहों को राज्य औद्यानिक मिशन योजना के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान के साथ-साथ 15 प्रतिशत अतिरिक्त राज्य सहायता टाप-अप के रूप में दिये जाने का प्रस्ताव है। भविष्य में यदि उत्पादन में वृद्धि होने के फलस्वरूप किसी विकास खण्ड में शीतगृह की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो इस योजना को उन विकास खण्डों में आवश्यकतानुसार विस्तारित किया जायेगा।

(3) शीतगृहों की स्थापना हेतु भारत सरकार के स्तर पर निर्धारित मानकों तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा संशोधित मानकों के अनुसार ही परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किया जायेगा। शीतगृह रहित विकास खण्ड में आलू के उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए शीतगृह निर्माण हेतु प्राप्त होने वाले प्रथम इकाई के प्रस्ताव (पायोनियर इकाई) अन्य समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने पर स्वीकृति हेतु विचारार्थ राज्य स्तरीय कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। यदि किसी विकास खण्ड में पूर्व में शीतगृह स्थापित था तथा वर्तमान में विगत 05 वर्षों से बन्द चल रहा है, तो उस विकास खण्ड में स्थापित किये जाने हेतु प्राप्त होने वाले प्रथम प्रस्ताव को पायोनियर इकाई माना जायेगा।

(4) शीतगृहों की स्थापना हेतु निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 के स्तर पर अपर निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में एक अप्रेजल समिति गठित की जायेगी, जिसके द्वारा प्रस्तावों का परीक्षण करके कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कार्यपरिषद के समक्ष स्वीकृति हेतु संस्तुति करते हुए प्रेषित किये जायेंगे।

(5) प्रस्ताव के स्वीकृति के उपरान्त एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। यदि अपरिहार्य कारणोंवश निर्माण कार्य एक वर्ष में पूर्ण नहीं हो पाता है,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तो विशेष परिस्थितियों में कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कार्यपरिषद द्वारा विचार करते हुए एक वर्ष के लिए निर्माण अवधि को बढ़ाया जा सकेगा। शीतगृह निर्माण हेतु अनुदान की धनराशि क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड सब्सिडी के रूप में नियमानुसार लाभार्थी संस्था को दी जायेगी।

(6) अधिकतम 5000 मिट्रिक टन क्षमता के शीतगृह निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम लागत रू0- 4 करोड़ पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त राज्य सहायता रू0-60.00 लाख प्रति शीतगृह दिया जाना निवेदित हैं। यह राज्य सहायता रू0-8000 प्रति मिट्रिक टन की इकाई लागत पर अधिकतम 5000 मिट्रिक टन तक के लिए ऐसे विकास खण्ड, जिनमें पर्याप्त क्षेत्रफल में आलू का उत्पादन होता है और एक भी शीतगृह स्थापित नहीं हैं, में निजी क्षेत्र के प्रथम आवक-प्रथम पावक के सिद्धान्त पर ऐसे प्रस्ताव को उपलब्ध करायी जायेगी, जिनके प्रस्ताव संबंधित विकास खण्ड में प्रथमतः स्वीकृत होंगे ।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या-19/2017-2140(1)/58-2017, तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 द्वारा निदेशक।
8- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक।
9- समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान/जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।